भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *142
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण

*142. श्री नलिन सोरेन:
डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐतिहासिक महत्व के पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वर्तमान में किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किसी नई नीति या कानून पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा चलाई जा रही संरक्षण संबंधी परियोजनाओं पर काम करने वाले शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तपोषण और संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित 1800 साल पुराने नांदसा यूपा स्तंभ की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 10.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 142 के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में 3698 संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की देखभाल करता है। उनका संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता, प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है, जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। स्मारकों की स्थिति का आकलन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्मारकों का निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार संरक्षण और रख-रखाव के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। संरक्षित स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार चाहरदीवारी, बाड़ आदि उपलब्ध करायी जाती है। देश में चुनिंदा संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए नियमित पहरा और निगरानी स्टॉफ के अलावा निजी सुरक्षा कार्मिक और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है।

(ख) और (ग): स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों की सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 में किसी प्राचीन स्मारक अथवा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। इसके अलावा संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण और परिरक्षण राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 का पालन करते हुए किया जाता है।

(घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अलग से किसी बजट शीर्ष की व्यवस्था नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्मारकों का संरक्षण और रख-रखाव सरकार द्वारा आवंटित बजट से किया जाता है। तथापि, संरक्षण संबंधित किसी चुनौती के लिए जब भी आवश्यकता होती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सीबीआरआई, आईआईटी आदि जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों से विशेष सहायता लेती है।

(ड.) और (च): भीलवाडा, राजस्थान स्थित नोदंसा यूपा स्तंभ की सुरक्षा के लिए वर्तमान में भारतीय पुरातत्व के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****